SEEPZM-CUST/3/2025-CUST/01665



सार्वजनिक सूचना सं. 01/2025 PUBLIC NOTICE No. 01/2025

विषयः एसईजेड ऑनलाइन मॉड्यूल (डीएसपीएफ) पर चालान का समर्थन-संबंधी। Sub:Endorsement of invoices on SEZ online module (DSPF)-req.

सीप्ज़-सेज़ की सभी इकाइयों/डेवलपर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ताओं से अधिकृत संचालन के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित चालान का समर्थन अनिवार्य मानदंड है। सुचारू और समय पर सुविधा के साथ-साथ फेसलेस प्रोसेसिंग के लिए, अधिकृत संचालन से संबंधित सेवाओं की डीटीए खरीद से संबंधित चालान के समर्थन/अनुमोदन के लिए एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर 'डीटीए सेवा खरीद फॉर्म' (डीएसपीएफ) का उपयोग किया जाना है। डीटीए सेवा खरीद मॉड्यूल 01.10.2019 से परिपत्र संख्या 304/2019 दिनांक 24.09.2019 के माध्यम से प्रभावी है। हालाँकि, डीटीए से खरीदे गए सामान अब ICEGATE सिस्टम में डीटीए खरीद फॉर्म दाखिल करने के बाद ही सीप्ज़-सेज़ के अंदर दर्ज किए जाते हैं।

Kind attention is invited to all Units/Developers of SEEPZ-SEZ that endorsement of invoices pertaining to procurement of services meant for authorized operations from domestic tariff area (DTA) Suppliers are mandatory norms. In order to smooth and timely facilitation as well as for faceless processing, 'DTA Service Procurement Form' (DSPF) on SEZ online System is to be used for endorsement/approval of invoices related to DTA procurements of services pertaining to authorized operations. The DTA Service procurement module is effective from 01.10.2019 vide Circular No.304/2019 dated 24.09.2019. However, goods procured from DTA are now entered inside SEEPZ-SEZ only after filing DTA procurement Form in ICEGATE system.

2. विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 21.06.2024 को सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2024 जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिकृत संचालन के लिए सेवाओं की खरीद के संबंध में डीटीए सेवा खरीद फॉर्म (डीएसपीएफ) दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में एसईईपीजेड-एसईजेड के सभी हितधारकों को जागरूक करना था। सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि डीएसपीएफ फॉर्म को समय पर यानी संबंधित वित्तीय वर्ष के तिमाही आधार पर एनएसडीएल ऑनलाइन सिस्टम में दाखिल किया जाना चाहिए, जिससे एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में अनुमोदन/अनुमोदन से पहले सत्यापन के लिए भुगतान प्रमाणों के साथ खरीदी गई सेवा चालान अपलोड किए जा सकें। इकाइयों/डेवलपर्स को यह भी सुनिश्वित करना होगा कि ऐसे सभी चालान जीएसटीआर-2ए के उनके

मासिक रिटर्न में विधिवत दर्शाए गए हैं।

A Public Notice No. 04/2024, dated 21.06.2024 was issued by the Development Commissioner's Office to sensitize all stakeholders of SEEPZ-SEZ regarding process of filing DTA services Procurement Form (DSPF) in respect of procurement of services meant for authorized operations. All stakeholders are informed that DSPF form should be filed on timely manners i.e. Quarterly basis of respective financial year in NSDL online system thereby uploading procured service invoices proofs verification before for payment with accompanied endorsement/approval in SEZ online system. The Units/Developers are also required to ensure that all such invoices are duly reflected in their monthly returns of GSTR-2A.

3. इस बात को दोहराया जाता है कि सेवाओं की खरीद के संबंध में चालानों के सभी समर्थन अब से केवल एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर ऑनलाइन होंगे और समर्थन से पहले भौतिक दस्तावेजों की प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। भौतिक समर्थन केवल इकाइयों/डेवलपर्स के अनुरोध पर और एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में समर्थन/अनुमोदन लेने के बाद ही किया जा सकता है।

It is hereby reiterated that all endorsements of invoices in respect of procurement of services shall henceforth be online on the SEZ online system only and presentation of physical documents before endorsement would not be required. Physical endorsement may be undertaken only at the request of the Units/Developers and after taking endorsement/approval in SEZ online system.

4. यह रेखांकित किया जाता है कि वस्तुओं/सेवाओं की डीटीए खरीद से संबंधित चालानों के समर्थन के प्रयोजन के लिए, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 में स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए " विनिर्दिष्ट अधिकारी" का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित " विनिर्दिष्ट अधिकारी" या "प्राधिकृत अधिकारी" से है।

It is highlighted that for the purpose of endorsement of invoices related to DTA procurement of goods/services, *Rule 89 of the CGST Rules, 2017 explains that for the purposes of sub-rule (1) of this rule "Specified Officer" means a "Specified Officer" or an "Authorised officer" as defined under rule 2 of the Special Economic Zone Rules, 2006.*

5. यदि कोई कठिनाई, सुझाव या समस्या हो तो उसे jdcseepz-mah@nic.in या customseepz-mah@nic.in पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया जा सकता है।Difficulty, suggestion or problem, if any, may be brought to the notice of the undersigned on jdcseepz-mah@nic.in or customseepz-mah@nic.in.

इसे विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

Signed by Balasaheb Ramchandra Borade Date: 03-02-2025:109:#3:53 प्रतिलिपिः

सीप्ज़-सेज़ के सभी अधिकारीगण/All Officers of SEEPZ-SEZ 1.

सीप्ज़-सेज़ रत्न एवं आभूषण विनिर्माण संघ (एसजीजेएमए)

- 2. SEEPZ-SEZ Gems & Jewellery Manufacturing Association (SGJMA) सीप्ज-सेज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (सीमा)
- SEEPZ-SEZ Electronics Export Manufacturing Association (SEEMA) 3. सीप्ज-सेज में सभी इकाइयाँ और डेवलपर्स/All units & Developers in SEEPZ-

4. SEZ

आईटी अनुभाग - www.seepz/gov.in पर अपलोड करें 5. IT Section- to upload on www.seepz/gov.in